रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2676] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 30, 2014/ पौष 9, 1936
No. 2676] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 30, 2014/PAUSHA 9, 1936

पर्यावरण, वन और वायु परिवर्तन मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 24 दिसम्बर, 2014

का.आ. 3315(अ).—केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का आ. 1533 (अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त राजपत्र अधिसूचना कहा गया है) के अनुसरण में राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण (रा.स्त.प.प्र.नि.प्रा.), राजस्थान (जिसे इसमें इसके पश्चात् राजस्थान प्राधिकरण कहा गया है) का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य समाविष्ट होंगे, अर्थात् :-

1. श्रीमती अलका काला (सेवानिवृत्त) —अध्यक्ष
   69-ए, बजाज नगर एन्कलेव, जयपुर
2. श्री सनकांथा प्रसाद, आईएफएस (सेवानिवृत्त) —सदस्य
   250, जीओएम डिफेंस कालोनी, 1 एवेन्यू,
   वैशाली नगर, जयपुर, राजस्थान
3. सचिव, पर्यावरण विभाग —सदस्य- सचिव
   राजस्थान सरकार

2. राजस्थान प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्य राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे।

3. राजस्थान प्राधिकरण, राजस्थान ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसी प्रक्रियाओं का अनुसरण करेगा, जो उक्त राजपत्र अधिसूचना में विनिर्दिष्ट हो।

4. प्राधिकरण राजस्थान, अपने विनिश्चय राजस्थान राज्य के लिए पैरा-5 के अधीन गठित राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (रा.स्त.वि.मू.स.) की सिफारिशों पर आधारित होंगे।

5. केंद्रीय सरकार, राजस्थान प्राधिकरण की सहायता के लिए राजस्थान राज्य सरकार से परामर्श करके राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, राजस्थान (जिसे इसमें इसके पश्चात् रा.स्त.वि.मू.स. कहा गया है) का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य समाविष्ट होंगे अर्थात् :--

1.	डा. एस.एस. राठौड, सहबद्ध आचार्य, खनन इंजीनियरी विभाग, टेकनोलॉजी एंड इंजीनियरिंग कालेज, उदयपुर, राजस्थान	अध्यक्ष
2.	डा. राजीव गुप्ता, 109 मोहन नगर, गोपाल पुरा बाइपास, जयपुर – 302018	सदस्य
3.	श्री अमित लुनिया, 94/26 मानसरोवर, जयपुर – 30202	सदस्य
4.	श्री मनोज कुमार अग्रवाल, जिगयासा, 153 विवेक विहार, दैनिक भास्कर आफिस के सामने, जेएलएन मार्ग, जयपुर – 302015	सदस्य
5.	डा. सुश्री सुजा जार्ज, सहबद्ध आचार्य और मुख्य रासायनिक इंजीनियरी (प्रदूषण नियंत्रण), एमएनआईटी, जयपुर, राजस्थान – 302017	सदस्य
6.	डा. पी.जे. जॉन, सहबद्ध आचार्य, पर्यावरणीय विष विज्ञान प्रयोगशाला, जन्तु विज्ञान विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	सदस्य
7.	श्री नंद कुमार खरे, मुख्य नगर नियोजक (सेवानिवृत्त), राजस्थान सरकार, प्लाट सं. 85, मोहन नगर, गोपालपुरा बाईपास के पास, जयपुर	सदस्य
8.	श्री द्वारका नाथ शर्मा, आईएफएस (सेवानिवृत्त), डी-17, मूर्तिकला कालोनी, त्रिवेणी पुलिया के नीचे, गोपालपुरा बाइपास के पास, जयपुर – 302018	सदस्य
9.	श्री मधु सूदन आचार्य, 18-ए न्यू मास्टर कालोनी, झालावाड – 326001 (राजस्थान)	सदस्य
10.	डा. एल.के. दाशोरे, होर्टीकल्चर एंड फोरस्ट्री झालरापतन महाविद्यालय के संकायाध्यक्ष, राजस्थान	सदस्य

11.	ज्येष्ठ पर्यावरणीय इंजीनियर, राजस्थान पर्यावरण विभाग	सचिव

6. रा.स्त.वि.मू.स., राजस्थान के अध्यक्ष और सदस्य राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे।

7. रा.स्त.वि.मू.स., राजस्थान ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसी प्रक्रियाओं का अनुसरण करेगी, जो उक्त राजपत्र अधिसूचना में विनिर्दिष्ट हो।

8. रा.स्त.वि.मू.स., राजस्थान सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करेगी और अध्यक्ष प्रत्येक मामले में मतैक्यता पर पहुंचने का प्रयास करेगा और यदि मतैक्यता पर नहीं पहुंचा जा सकता है तो बहुमत की राय अभिभावी होगी।

9. राजस्थान राज्य सरकार, राजस्थान प्राधिकरण और रा.स्त.वि.मू.स., राजस्थान के लिए सचिवालय के रूप में कार्य करने के लिए किसी अभिकरण को अधिसूचित करेगी और उसके सभी कानूनी कृत्यों के संबंध में जिसके अंतर्गत आवास, परिवहन और ऐसी अन्य सुविधाएं भी हैं, सहित उसे सभी वित्तीय और संभार तंत्र समर्थन प्रदान करेगी।

10. राजस्थान प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों तथा रा.स्त.वि.मू.स., राजस्थान के अध्यक्ष और सदस्यों को बैठक फीस, यात्रा भत्ते और मंहगाई भत्ते का राजस्थान राज्य सरकार के संबद्ध नियमों के अनुसार संदाय किया जाएगा।

[जे-11013/29/2007-आई.ए.II(I)]

मनोज कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE

ORDER

New Delhi, the 24th December, 2014

S.O. 3315(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and in pursuance of the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests, number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 (hereinafter referred to as the said notification), the Central Government hereby constitutes the State Level Environment Impact Assessment Authority (SEIAA), Rajasthan (hereinafter referred to as the Authority for Rajasthan) comprising of the following Members, namely: -

1.	Smt. Alka Kala, IAS (Retired) 69-A, Bajaj Nagar Enclave, Jaipur	—Chairman
2.	Shri Sankantha Prasad, IFS (Retired) 250, GOM Defense Colony, 1st Avenue, Vaishali Nagar, Jaipur, Rajasthan	—Member
3.	Secretary, Department of Environment, Government of Rajasthan	—Member-Secretary

2. The Chairman and non official Member of the Authority for Rajasthan shall hold office for a term of three years from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

3. The Authority for Rajasthan shall exercise such powers and follow the procedures as specified in the said notification.

4. The Authority for Rajasthan shall base its decision on the recommendations of the State Level Expert Appraisal Committee (SEAC) constituted under paragraph 5 for the State of Rajasthan.

5. For the purposes of assisting the Authority for Rajasthan, the Central Government, in consultation with the State Government of Rajasthan, hereby constitutes the State Level Expert Appraisal Committee, Rajasthan(hereinafter referred to as SEAC for Rajasthan) comprising of the following Members, namely :-

1.	Dr. S. S. Rathore, Associate Professor, Department of Mining Engineering, College of Technology and Engineering, Udaipur, Rajasthan.	Chairman
2.	Dr. Rajiv Gupta, 109 Mohan Nagar, Gopal Pura Bye Pass, Jaipur – 302018	Member
3.	Shri Amit Lunia 94/26 Mansarovar, Jaipur -30202	Member
4.	Shri Manoj Kumar Agrawal, Jigyasa, 153 Vivek Vihar, Opposite Dainik Baskar Office, JLN Marg, Jaipur – 302015	Member
5	Dr. Ms. Suja Georage, Associate Professor and Head Chemical Engineering, (Pollution Control), MNIT, Jaipur, Rajasthan-302017	Member
6	Dr. P.J. John, Associate Professor, Environmental Toxicology Laboratory, Department of Zoology, University of Rajasthan, Jaipur	Member
7	Sh. Nand Kumar Khare, Chief Town Planner (Retd.) Raj Govt., Plot No. 85, Mohan Nagar, Near Gopalpura Bye pass, Jaipur.	Member
8	Sh. Dwrka Nath Sharma, IFS (Retd.) D-17, Murtikala Colony, Below Triveni Pulia, Gopalpura Bye Pass, Jaipur - 302018	Member
9	Sh. Madhu Sudhan Acharya,. 18-A New Master Colony, Jhalawar – 326001 (Rajasthan)	Member
10	Dr. L. K. Dashore, Dean, College of Horticulture and Forestry Jhalrapatan, Jhalawar, Rajasthan.	Member
11	Senior Environmental Engineer, Department of Environment, Rajasthan	Secretary

6. The Chairman and Members of SEAC for Rajasthan shall hold office for a term of three years from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

7. The SEAC for Rajasthan shall exercise the powers and follow the procedures as specified in the said notification.

8. The SEAC for Rajasthan shall function on the principle of collective responsibility and the Chairman shall endeavor to reach a consensus in each case, and if consensus cannot be reached, the view of the majority shall prevail.

9. The State Government of Rajasthan shall notify an agency to act as Secretariat for the Authority for Rajasthan and SEAC for Rajasthan and shall provide all financial and logistic support including accommodation, transportation and such other facilities in respect of all its statutory functions.

10. The sitting fee, travelling allowance and dearness allowance to the Chairman and Member of the Authority for Rajasthan and the Chairman and Members of SEAC for Rajasthan shall be paid in accordance with the concerned rules of the State Government of Rajasthan.

[J-11013/ 29/2007- IA.II (I)]

MANOJ KUMAR SINGH, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.